न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक ।।।/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/4045.

कल्ला उर्फ कल्लू पुत्र गोविन्द चमार
निवास– ग्राम सेमरा, तहसील व जिला गुना म.प्र. कृषक ग्राम महुआखेडा, तहसील अशोकनगर जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..........आवेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 20/10/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1– हरिओम
2– जयपाल
3– उत्तरा
4– सुनीता
5– विमलेश बाई पुत्र/पुत्रीगण बादामसिंह यादव
निवास– ग्राम गरौली, तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..............अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत कचनार तहसीलदार अशोकनगर जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 01 अ 12/17–18 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत ।

श्रीमान् जी,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य –

1 यहकि, अनावेदक क्र. 1 द्वारा ग्राम महुआखेडा की भूमि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 552/1 एवं 554/1 के सीमांकन हेतु एक आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । उक्त आवेदन पत्र पर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर सीमांकन कार्यवाही शुरू की गई। उक्त सीमांकन की कार्यवाही में विधिवत सीमांकन नियमों का पालन नहीं किया गया और नाहीं

कल्पना / इंदिरालय

XXXIX(a)-BR(H)-11

— २ —

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 2017 / 4045 जिला ([illegible])

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/12/17	आवेदक की ओर से श्री ओ. पी. शर्मा अधिवक्ता ने उपस्थित होकर पक्षकारगण के मध्य आपसी सुलह का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया, साथ ही प्रकरण को नोटप्रेस किये जाने बाबत आवेदन-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। आपसी सुलह के आवेदन पर प्रकरण सुनवाई हेतु लिया गया। आवेदक के अधिवक्ता श्री ओ. पी. शर्मा द्वारा तर्क किया कि वे इस निगरानी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं, तथा नोटप्रेस का आवेदन प्रस्तुत है। आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर तथा प्रस्तुत नोटप्रेस के आवेदन-पत्र पर किये गये अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रकरण को नोटप्रेस में समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	

[कृ. प. उ.